हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 131

वीरवार, 2 मार्च, 2017/11 फाल्गुन, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2298, 3570 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3678, 3680 तथा 3683 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3679, 3681 तथा 3682 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3684 से 3693 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 3678 पर किए जा रहे अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों से असन्तुष्ट विपक्ष ने 11.50 बजे पूर्वाह्न नारे लगाते हुए सदन से वॉक आउट किया)

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 698, 1474 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1561 से 1569 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(अपराह्न 12.00 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः उपस्थित हुए)

<u>12.00 PM</u>

2. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :</u>

(1) **श्री महेश्वर सिंह** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

दिनांक 18 फरवरी, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "**शहर में कुत्ते ने दौड़ाए लोग आधा दर्ज़न अस्पताल पहुंचे**", से उत्पन्न स्थिति।

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेश्वर सिंह ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

दिनांक 28 फरवरी, 2017 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "**द्रुब्बल में घर से बकरियां चराने निकला युवक लापता**", से उत्पन्न स्थिति।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2016-17 पर सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारणः-

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धन राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं?

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुईं।

4. विधायी कार्यः

(I) सरकारी विधेयक की पुरः स्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पुरःस्थापित हुआ।

(II) **<u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पारित हुआ।

(अपराह्न 12.45 बजे सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)